सं. एवी-20015/45/2015-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
'एडी' अनुभाग

****

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (TIDCO),
19-ए, रुक्मिणी लक्ष्मीपथि रोड,
एग्मोर, चेन्नई - 600008

विषय: तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के परंदूर में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु टीआईडीसीओ को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में।

मुझे टीआईडीसीओ के पत्र संख्या **टीआईडीसीओ/ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट/2022-12** दिनांक **09.09.2024,** जिसके माध्यम से चेन्नई के निकट तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के परंदूर में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु **'सैद्धांतिक' अनुमोदन** का अनुरोध किया गया था का संदर्भ लेने और आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्द्वारा **'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रमाण-पत्र** संलग्न कर प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(जयंतो चक्रवर्ती)
निदेशक
दूरभाष: 011-24610366

संलग्नक: यथोपरोक्त

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चेन्नई - 600009

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

5. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), लोधी रोड, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।

******

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना

आवेदन संख्या: **सं. एवी-20015/45/2015-एडी**

आवेदक का नाम: तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ)

पता: 19-ए, रुक्मिणी लक्ष्मीपथि रोड, एग्मोर, चेन्नई - 600008, तमिलनाडु।

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने चेन्नई के निकट तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के परंदूर में सार्वजनिक उपयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। यह स्वीकृति रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा साइट क्लीयरेंस/'सैद्धांतिक' अनुमोदन चरण में निर्धारित शर्तों/टिप्पणियों, अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन, विमानपत्तन अवसंरचना नीति, 1997/ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में समय-समय पर जारी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगी।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किए जाने की शर्तें</u>

i. परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 तथा नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य नीतियों के अनुरूप किया जाएगा।

ii. आवेदक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का भी अनुपालन करना होगा।

iii. आवेदक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/वैधानिक निकायों से यथापेक्षित आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियाँ/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), प्राप्त किए जाएँगे। साइट पर किसी भी प्रकार की विकास-पूर्व गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. भारत में कंपनी के प्रबंधन में वरिष्ठ निर्णयकारी पदों पर नियुक्त किए जाने वाले विदेशी नागरिकों/भारतीय प्रतिनिधियों के लिए गृह मंत्रालय/आसूचना ब्यूरो (आईबी) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा निकासी प्राप्त की जाएगी।

v. यदि परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया जाना हो, तो रियायत समझौता (Concession Agreement), आरएफपी (RFP) तथा परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित अन्य दस्तावेज निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने से पूर्व परीक्षण हेतु नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के साथ साझा किए जाएँगे। ऐसा करते समय भारत सरकार अथवा उसके संगठनों/एजेंसियों से संबंधित रियायतों अथवा खण्डों आदि को विशेष रूप से चिह्नित किया जाएगा।

vi. तमिलनाडु सरकार/टीआईडीसीओ तटरेखा के लंबवत दिशा में रनवे के संरेखण (Alignment) की संभावना का आकलन करेगा ताकि ओएलएस, रनवे फनल प्रभाव आदि न्यूनतम हो सकें।

vii. परियोजना प्रवर्तक द्वारा चिन्हित बाधाओं को हटाया जाएगा।

viii. परियोजना के प्रथम चरण (फेज-I) के लिए राज्य सरकार/टीआईडीसीओ 100% भूमि अधिग्रहण का प्रयास करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि रियायत (Concession) प्रदान किए जाने की तिथि तक कम-से-कम 90% भूमि अधिग्रहित हो चुकी हो।

ix. यदि परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाता है, तो हवाईअड्डे पर आरक्षित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित रियायतकर्ता के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया जाएगा।

x. इस 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के प्रदान किए जाने के उपरांत रंग-कोडित जोनिंग मानचित्र (Colour Coded Zoning Maps - सीसीजेडएम) हेतु आवेदन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को भेजा जाएगा।

xi. हवाईअड्डे की प्रमुख योजना में प्रारंभिक स्तर से ही उपयुक्त डिज़ाइन/मानकों को सम्मिलित करते हुए नेट ज़ीरो (Net Zero) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपाय किए जाएँगे, जिनमें अन्य बातों के साथ 100% हरित ऊर्जा (Green Energy) का उपयोग शामिल होगा।

xii. परियोजना प्रवर्तक/हवाईअड्डा विकासकर्ता, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की दिनांक **16.10.2006** की नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर), खण्ड-4, श्रृंखला-'एफ', भाग-I तथा समय-समय जारी संशोधनों का अनुपालन करेगा।

xiii. आवेदक को इस प्रमाण-पत्र के जारी होने की तारीख से पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ करना होगा। यदि पाँच (5) वर्ष के भीतर विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है अथवा परियोजना मूल प्रस्ताव से भिन्न पाई जाती है, तो यह प्रमाण-पत्र बिना किसी अन्य सूचना के स्वतः निरस्त एवं अमान्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नये 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(जोयंता चक्रवर्ती)
निदेशक
दूरभाष: 011-24610366

दिनांक: 07.04.2025